

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एमएस/एफ-31/2019/

दिनांक :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जोधपुर।

**विषय :-** स्व० श्री भंवर लाल नागवाल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फलौदी की विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी कराने हेतु।

**संदर्भ :-** आपके अ०शा० पत्र क्रमांक 3766 दिनांक 14.2.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्व० श्री भंवर लाल नागवाल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फलौदी की विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस०बी०सिविल विविध रेस्टोरेशन अपील संख्या 2/2019 दायर की गई। जिसमें दिनांक 11.2.2019 को हुई सुनवाई में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

उक्त प्रकरण में विभागीय विधी अधिकारी से राय प्राप्त करने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 07.12.2017 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल प्रथम अपील दायर कर निर्णय के विरुद्ध स्थगन प्राप्त कर स्थगन की प्रति इजराय में प्रस्तुत करने का श्रम करें। विभागीय उप विधि परामर्शी मुख्यालय द्वारा प्रकरण में दी राय की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

६०  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज० जयपुर

क्रमांक : सीबी/एमएस/एफ-31/2019/ 367

दिनांक :- २०/२/२०१९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप विधी परामर्शी, मुख्यालय।
2. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित मुख्यालय।

✓ ५७१८१ २४८८ २४

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज० जयपुर


राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज. जयपुर  
कार्यालय-टिप्पणी


कि दीवानी वाद संख्या 08/2004 भंवर लाल नागवाल की कानूनी विधिक वारीस केसर देवी व अन्य बनाम राज्य प्रकरण में माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 1 जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2017 के विरुद्ध शासन की टिप्पणी पैरा एन/181 से एन/183 से अपील दायर करने का निर्णय लिया जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2017 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल प्रथम अपील दायर कर निर्णय के विरुद्ध स्थगन प्राप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2017 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल प्रथम अपील दायर कर निर्णय के विरुद्ध स्थगन प्राप्त कर स्थगन की प्रति इजराय में प्रस्तुत करने के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को निर्देश दिये जाने उचित हैं।

विधि/सा/204  
20-2-19



  
20/2/19

  
20/2/19

Attd. Div. Samh

CB/S63  
20/2/19